झारखण्ड विधान सभा

सत्यमेव जयते

झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय,
राँची द्वारा मुद्रित ।

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

विषय–सूची ।

खण्ड–1

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ।
2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 की धारा–2 में संशोधन।
3. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा–3 में संशोधन।
4. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम–9, 2006 की धारा–2 का संशोधन।
5. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा–4 का संशोधन।
6. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम, 9, 2006 की धारा–3 का संशोधन।
7. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम–10, 2008 की धारा 8 में संशोधन।
8. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–6 में संशोधन।
9. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम–10, 2008 की धारा 8 में संशोधन
10. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–11 यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम–2008 की धारा 4 में संशोधन।
11. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13 में संशोधन।
12. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–10 में संशोधन।
13. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13, में यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 8 द्वारा उपधारा 13(क) में संशोधन।
14. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–6 में संशोधन।
15. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–6 में संशोधन में संशोधन।
16. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन अधिनियम 03, 2001 की धारा 11 में संशोधन।
17. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 15 (II) में संशोधन।
18. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–15 (II) में संशोधन ।

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011

[सभा द्वारा यथापारित]

झारखंड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 2001, (झारखण्ड अधिनियम–16, 2002, झारखण्ड अधिनियम 09, 2006 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 द्वारा यथा संशोधित) का संशोधन करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के 62वाँ वर्ष में झारखंड राज्य विधान–मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भः–

(i). यह अधिनियम झारखंड विधान मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जा सकेगा।

(ii). इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

(iii). यह दिनांक 01 अप्रैल, 2011 से प्रभावी समझा जायेगा।

2. झारखण्ड अधिनियम 03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 तथा झारखण्ड अधिनियम 10, 2008 की धारा–2 में संशोधन – झारखण्ड अधिनियम–03, 2001 यथा संशोधित अधिनियम–16, 2002 की धारा–2 में वेतन प्रावधान में अधिकतम अंक एवं शब्द 8,000/–(आठ हजार) रुपये के स्थान पर अंक एवं शब्द 20,000/–(बीस हजार) रूपये" प्रतिस्थापित किया जायेगा।

3. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित झारखण्ड अधिनियम–9, 2006 की धारा–2 का संशोधन– क्षेत्रीय भत्ता के प्रावधान के अंतर्गत अधिकतम अंक एवं शब्द 8,000/– (आठ हजार) रू0 के स्थान पर अंक एवं शब्द 20,000/–(बीस हजार) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

4. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा–3 में संशोधन– झारखण्ड विधान मंडल के प्रत्येक सदस्य को सत्कार भत्ता प्रतिमाह अंक एवं शब्द में 5,000/–रू0 (पांच हजार) के स्थान पर 15,000/–(पन्द्रह हजार) रूपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

5. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) में यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 7 द्वारा उपधारा 18(ii) के रूप में जोड़े गये, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 3(ख) भूतपर्व सदस्य (विधायक) को चिकित्सा भत्ता मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000 /–के स्थान पर 3,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

6. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम, 03, 2001 की धारा–7 में सदस्य (विधायक) को पोस्टल एवं स्टेशनरी मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 2,000/– के स्थान पर 8,500/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

7. झारखण्ड अधिनियम, 03, 2001 की धारा–4 का संशोधन– सवारी भत्ता प्रावधान के अंतर्गत अंकित अधिकतम अंक एवं शब्द में 300/– (तीन सौ) रू0 के स्थान पर 500/– (पॉच सौ) रुपये प्रतिस्थापित किया जायेगा।

8. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13 में यथसंशोधिनत अधिनियम 9, 2006 की धारा–8 द्वारा उपधारा 13 (क) के रूप में जोड़ा गया सदस्य (विधायक) को समाचार पत्र–पत्रिकाएं मद में प्रति माह प्रावधानित राशि 500/–के स्थान पर 1,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

9. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(1), यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 3,में सदस्य (विधायक) को दैनिक भत्ता मद में प्रावधानित राशि 500/–के स्थान पर राज्य के अंदर 1000/– तथा राज्य के बाहर 1500/– रूपये प्रतिदिन प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

10. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–8(ii)(क) यथासंशोधित अधिनियम–10, 2008 की धारा 8 में संशोधन– सदस्य को यात्रा भत्ता मद में प्रावधानित अधिकतम अंक एवं शब्द में 10/– (दस) रु0 के स्थान पर 15/– (पन्द्रह) रु0 प्रति किलोमीटर प्रतिस्थापित किया जायेगा।

11. आवास राज्य सरकार के नियमानुसार देय होगा ।

12. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–11 यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 5, यथासंशोधित अधिनियम–2008 की धारा 4 द्वारा सदस्य (विधायक) के निजी सहायक को प्रति माह प्रावधानित राशि 10,000/–के स्थान पर 15,000/– रूपये प्रतिमाह एकमुश्त प्रतिस्थापित किये जायेंगे ।

13. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13 सदस्य (विधायक) को दूरभाष मद में प्रावधानित राशि के स्थान 1,00,000 रूपये प्रतिवर्ष (राशिका उपयोग मोबाईल, लैण्डलाईन एवं इंटरनेट पर खर्च कर सकेंगे) प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

14. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–10 के पश्चात् निम्न उपधारा 10(i) जोड़ी जायेगी।

"10(i) लैपटॉप प्रिन्टर– प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि में लैपटॉप (प्रिन्टर सहित) के लिए 50,000/– रूपये अनुमान्य होंगे। सदस्यता समाप्त होने पर खरीद कीमत का 10 प्रतिशत राशि वापस किया जाएगा।"

15. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–13, में यथासंशोधित अधिनियम–9, 2006 की धारा 8 द्वारा उपधारा 13(क) के रूप में जोड़ा गया, सदस्य (विधायक) को उपस्कर, साज, सामग्री के लिए प्रावधानित राशि 25,000/–के स्थान पर 50,000/– रूपये एक टर्म के लिए प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

16. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा–6 में सदस्य (विधायक) को मोटरगाड़ी क्रय हेतु ऋण की सुविधा में प्रावधानित राशि 5,00,000/– के स्थान पर 10,00,000/– रूपये प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

17. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) संशोधन अधिनियम 03, 2001 की धारा 11 के पश्चात् निम्न उपधारा जोड़ी जायेगी।

11(i)–आदेशपाल/अनुसेवक का प्रावधान– प्रत्येक सदस्य को सदस्य रहने की अवधि में अधिकतम 5,500/– पारिश्रमिक पर एक अनुसेवक अनुमान्य होगा।

18. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 15 (II) को निम्नरुपेण प्रतिस्थापित किया जायेगा–

(i) विशेष रूप से और पूर्ववर्त्ती शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी नियमावली समस्त या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेगी; वेतन, भत्ते, पेशन एवं अन्य सुविधायें।

भूतपर्व माननीय सदस्य के लिए उपबंध में संशोधनः–

1. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) में संशोधन।
2. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 6(ख), यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा 7(i) में संशोधन।
3. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) – में संशोधन।
4. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(i)(ख) में संशोधन।
5. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17 में में संशोधन।

भूतपर्व माननीय सदस्य के लिए उपबंध में संशोधनः–

1. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) के द्वारा भूतपर्व सदस्य (विधायक) को पेंशन के रूप में प्रति माह प्रावधानित राशि 5,000/–के स्थान पर 15,000/– रूपये बेसिक प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

2. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17, यथासंशोधित अधिनियम 16, 2002 की धारा 6(ख), यथासंशोधित अधिनियम 18 अक्टूबर 2006 की धारा 2(i) यथासंशोधित अधिनियम 10, 2008 की धारा 7(i) के द्वारा भूतपर्व सदस्य (विधायक) के पेंशन में वार्षिक वृद्धि हेतु प्रावधानित राशि 900/–प्रतिवर्ष के स्थान 2,000/– रूपये प्रतिवर्ष तथा अधिकतम 30,000/– के स्थान पर 50,000/– रूपये तक के रूप में प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

3. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(v) – में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा।

   भूतपूर्व माननीय सदस्यों के पति/पत्नी दोनों के जीवित नहीं रहने पर उनके आश्रित (पुत्र/पुत्री) को व्यस्क होने तक 75 प्रतिशत पेंशन देय होगा।

4. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17(i)(ख) में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा।

   विधान–सभा के एक वर्ष के खंडित अवधि को एक पूर्ण वर्ष माना जायगा।

5. झारखण्ड विधान–मंडल (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) अधिनियम 03, 2001 की धारा 17 में निम्न वाक्य जोड़ा जायेगा।

   भूतपर्व सदस्य (विधायक) को झारखंड भवन में कमरा रिक्त रहने पर रियायत दर 100/–रू0 प्रति कमरा / 24 घंटे के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

यह विधेयक झारखण्ड विधान मंडल के (सदस्यों का वेतन, भत्ता और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2011 दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को झारखण्ड विधान-सभा में उद्भूत हुआ और दिनांक 3 सितम्बर, 2011 को सभा द्वारा पारित हुआ ।

यह एक धन विधेयक है ।

(चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह)
अध्यक्ष ।

झा०रा०मु०राँची (एल०ए०) 45--50--6-9-2011 ।